तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9 / 10 / 2018	**एकल–पीठ** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह : अधिवक्ता प्रार्थी श्री जे. के. पारीक : अधिवक्ता अप्रार्थी —— **आदेश** प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, सपोटरा (जिला करौली) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 / 1 / 2004 (प्रकरण संख्या 56 / 2000) के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी याचिका अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी / प्रार्थी ने विवादित भूमि के संबंध में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर, सपोटरा के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादीगण / अप्रार्थी संख्या 1 के पति व 2 के पिता घीस्या एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी / वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वाद में संशोधन करने का निवेदन किया, जिसे उप खण्ड अधिकारी, सपोटरा ने अपने आदेश दिनांक 20 / 1 / 2004 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका मण्डल में प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विद्वान उप खण्ड अधिकारी, सपोटरा ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित आलोच्य आदेश न्याय एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि प्रार्थी ने दावा प्रस्तुत करने से पूर्व ही अपने अधिवक्ता को यह बतला दिया था कि विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की मौरूसी भूमि है एवं शामलाती कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 9 / 1422 में उन्होंने कुआं 16 वर्ष पूर्व खुदवाया था, जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 5 का इंजन लगा हुआ है। लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा सहवन से उक्त दोनों ही तथ्यों को दावे में अंकित किये जाने से रह गये है, जिसे जोड़े जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभी तक प्रकरण में वादी की साक्ष्य शुरू नहीं हुई है एवं प्रकरण प्रारम्भिक अवस्था में है, तथाकथित संशोधन से दावे की प्रकृति नहीं बदलती है एवं न ही प्रतिवादी के हितों पर कोई कुठाराघात होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी / वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. बिना समझे गलत खारिज किया है। अतः निगरानी को स्वीकार किया जाकर उप खण्ड अधिकारी, सपोटरा द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत संशोधन तभी किया जा सकता है जबकि दौराने वाद कोई बदलाव हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को निरस्त किये जाने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की है। अतः निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20 / 1 / 2004 के अवलोकन से स्पष्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि प्रार्थी द्वारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुये खारिज किया है कि जो तथ्य वाद में पूर्व में दर्ज करने से रह गये थे, उक्त तथ्य वाद से पूर्व में भी वही थे अतएवं उन तथ्यों को दर्ज करने के लिये अब प्रार्थना पत्र दायर किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि वाद के दायर करने के पश्चात कोई भी बिन्दु परिवर्तित नहीं हुआ है। हमने आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है, जो निम्न प्रकार है :– **17. Amendment of Pleadings.-** the Court may at any stage at the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions in controversy between the parties: Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial. उपरोक्त प्रावधानों अनुसार जब किसी वाद पत्र में संशोधन से यदि वाद की प्रकृति बदल जाती है तो ऐसे संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, सपोटरा ने अपनी फाईन्डिंग में यह पाया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत सभी तथ्यों को अप्रत्यक्ष रूप से वाद में पूर्व से ही विद्यमान है। वाद पत्र में प्रार्थी / वादी द्वारा विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी होने से मौरूसी शब्द जोड़ने एवं इसके अतिरिक्त कुऐं से सिंचाई वाक्य बढ़ाये जाने तथा सजरा जोड़े जाने की अनुमति चाही गई थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने विवेक का सकारात्मक उपयोग न्यायहित में किया है तथा निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का जो आदेश पारित किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20 / 1 / 2004 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी याचिका एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावें। आदेश सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए